भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5593
27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई का कार्यान्वयन

†5593. श्री राजीव रायः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-26 के दौरान आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के अंतर्गत राज्य के घोसी निर्वाचन क्षेत्र सहित मऊ जिले में पात्र परिवारों को कितने लाभार्थी कार्ड जारी किए गए हैं;
(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत जिले में कितने अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है और अस्पतालों में कितनी भर्तियों को प्राधिकृत किया गया है;
(ग) वर्ष 2024-26 के दौरान मऊ जिले के लाभार्थियों द्वारा प्राप्त उपचार के लिए कुल कितनी राशि का दावा किया गया और कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है;
(घ) क्या किसी आकलन में जिले में नामांकन अथवा कवरेज में अंतराल को चिह्नित किया गया है; और
(ङ) क्या सरकार का घोसी जैसे क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों जैसी अतिरिक्त श्रेणियों तक कवरेज का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): दिनांक 28.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार, घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का जिलावार विवरण निम्नलिखित है:

जिला	**पात्र परिवारों की संख्या (लाख में) आयुष्मान**	**बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या (लाख में)**
माऊ	1.48	7.01
बालिया	2.47	9.80

(ख) और (ग): उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एबी-पीएमजेएवाई के तहत कुल 58 अस्पताल सूचीबद्ध हैं और वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान इस योजना के तहत 59,371 अस्पताल प्रवेश अधिकृत किए गए हैं। दिनांक 28.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 113.09 करोड़ रुपये के दावे प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 89.71 करोड़ रुपये का भुगतान उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में सूचीबद्ध अस्पतालों को वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान किया गया है।

(घ) और (ङ): एबी-पीएमजेएवाई योजना भारत की 40% आबादी के सबसे निचले तबके के 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट स्तर के उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2024 में, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के लगभग 37 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया। अक्टूबर 2024 में, इस योजना का और आगे विस्तार किया गया ताकि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को, जो 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से प्रभावित हुए बिना, इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सके।

दिनांक 24.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विस्तारित कवरेज के अंतर्गत कुल 43.64 लाख लाभार्थी परिवारों को शामिल किया गया है, और उत्तर प्रदेश में, जिसमें घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, आशा, एडब्ल्यूएच और एडब्ल्यू डब्ल्यू के अतिरिक्त 5.28 लाख लाभार्थी परिवारों को शामिल किया गया है।
